उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–2488 / छः–पु0–9–18–31(60) / 2010
लखनऊः दिनांकः 19 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय कुलाबा समिति अल्पिका / फेडरेटेड समितियों के निर्वाचन हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर के अधीन जनपद कासगंज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फतेहपुर, ऐटा, इटावा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी में तैनात सिचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, उप राजस्व अधिकारी एवं अवर अभियन्ताओं को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से **दिनांक 01.12.2018 से 31.12.2018 तक एवं दिनांक 03.01.2019 से 11.02.2019 तक तथा दिनांक 26.02.2019 से 25.03.2019 तक की अवधि के लिए** कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित जिले की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की गयी हैं।

आज्ञा से,

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–2488(1) / छः–पु0–9–2018, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को दिनांक– 19 नवम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड–''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 10 मुद्रित प्रतियां शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 2488(2) / छः–पु0–9–2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) मण्डलायुक्त–कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा ।
(3) जिला मजिस्ट्रेट / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक जनपद कासगंज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फतेहपुर, ऐटा, इटावा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी।
(4) प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–2658 / 18–27–सिं–4–2(पिम) / 16, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 के संदर्भ में।
(5) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
(6) मुख्य अभियन्ता (पैक्ट / रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ / कानपुर।
(7) गृह (पुलिस)अनुभाग–3 / 11
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

E:\Data Police-9\Pramod Rai R O\Notification DRAFT 7921